बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

19 :: संकल्प ::

विषय — बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एंव अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के कमांक–20 पर बनिया जाति के अंतर्गत कोष्टक में की गई प्रविष्टियों के अंत में कैथल वैश्य/कथ बनिया जाति को जोड़ा जाय ।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम–12, 1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया है । आयोग को बिहार अधिनियम–3, 1992 की अनुसूची–1 एवं 2 में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जाँच की जाती है और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की जाँच की जाती है । इसके उपरांत आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जाती है, जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम–12, 1993 की धारा–9 (2) के अनुसार "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की एतद् संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य है ।

"पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" द्वारा विधिवत जांच के उपरांत अनुशंसा की गई है कि :–

> "कैथल वैश्य/कथ बनिया जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के कमांक –20 पर बनिया जाति के अंतर्गत कोष्टक में की गई प्रविष्टियों के अन्त में जोड़ा जाय ।"

अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम–3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के कमांक–20 पर बनिया जाति के अंतर्गत कोष्टक में की गई प्रविष्टियों के अन्त में कैथल वैश्य/कथ बनिया जाति को जोड़ा जाय ।

अतः उक्त समावेशन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगर पालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपकमों की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधायें अनुमान्य होगी ।

यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश :— अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी /मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(अरविन्द प्रसाद)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक —11/वि 2—प्रि० व० आ०— 14/2001 का० — 248 /पटना—15, दि० 24.06.2002.

प्रतिलिपि — अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/—

(अरविन्द प्रसाद)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक —11/वि 2—पि० व० आ०—14/2001 का० — 248 /पटना—15, दि० 24.06.2002.

प्रतिलिपि — महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची/ अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय /सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार, विधान परिषद्, पटना / राणी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/कुलपति, सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/—

(अरविन्द प्रसाद)

सरकार के सचिव ।